रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2005/आषाढ़ 29, 1927
No. 320] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2005/ASADHA 29, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)
(पत्तन पक्ष)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 492(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि (संशोधन) विनियम 2005 का अनुमोदन करती है ।

2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

अनुसूची

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट

महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के उपवाक्य (बी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन का न्यासी मंडल कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियम में और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है -

1. <u>लघुशीर्ष एवं प्रारंभ</u>

(1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 2005 कहलाये जाएंगे

(2) ये विनियम केन्द्र सरकार की मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियम में वर्तमान विनियम 11 के बदले निम्नलिखित नया विनियम 11 प्रतिस्थापित होगा.

"11. मंडल, अंशदाताओं द्वारा दिए गए सारे अंशदान और मंडल के अंशदान (विनियम 10 के अंतर्गत देय किसी विशेष अंशदान को छोडकर) जो उसपर जमा ब्याज के साथ वास्तविक रुप से अंशदाता के खाते में जमा हो गया हो,ऐसे अंशदान पर उस दर से ब्याज प्रदान करेगा जिस वार्षिक दर से मंडल ने भविष्य निर्वाह निधि निवेश पर ब्याज पाया है."

3. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियम में विनियम 19(सी) के बाद निम्नलिखित नया विनियम समावेश होगा -

"19(डी) (1) अध्यक्षजी अपने विवेक (डिस्क्रीशन) से किसी ऐसे अंशदाता को, जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो (इसमें खंडित सेवा अवधि, यदि हो, समाविष्ट है) अथवा जो निवृत्ति आयु के कारण अगलें 10 वर्षों में सेवानिवृत्त होता हो, इनमें से जो भी पहले हो निर्वाह निधि में उसकी अंशदान राशि एवं उसपर जमा ब्याज में से कोई राशि निकालने की अनुमति दे सकते हैं यदि वह राशि निम्नलिखित कामोंपर/कारणों से स्वयं उसके द्वारा अथवा वास्तविक रुप से उसपर निर्भर उसके परिवार सदस्य द्वारा हुए अथवा होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक हो.

(i) हाईस्कूल स्तर के आगे भारत के बाहर तकनीकी, व्यावहारिक और (प्रोफेशनल) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा; और

(ii) हाईस्कूल स्तर के आगे भारत में वैद्यकीय, अभियांत्रिकीय अथवा अन्य तकनीकी अथवा विशिष्ठ पाठ्यक्रम.

बशर्ते कि अंशदाता द्वारा निकाली गयी कोई भी राशि निम्नलिखित से अधिक न हो -

(i) अंशदाता के खाते में प्रत्यक्षतः जमा अंशदान राशि और उसपर ब्याज की आधी राशि

अथवा

(ii) 6 महीने का वेतन,

इनमें से जो भी कम हो.

यह भी प्रावधान है कि (i) अंशदाता की स्थिति (स्टेटस) (ii) अंशदाता के खाते में स्वयं का अंशदान और उसपर ब्याज की कुल जमा राशि तथा (iii) सेवा निवृत्ति की आयु से पहले अंशदाता द्वारा सेवा के बाकी वर्षों की संख्या आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष अंशदाता के वास्तविक अंशदान राशि और उसपर ब्याज की राशि के तीन चौथाई के बराबर राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं.

(2) अगर निकाली गयी अंतिम राशि उच्च शिक्षा की वास्तविक व्यय से अधिक होती है तो वह अधिक राशि निर्वाह निधि में अंशदाता के खाते में जमा करने के लिए तुरंत एकमुश्त रुप में लौटायी जायेगी.

(3) शिक्षा के लिए निकाली गयी राशि के उपयोग की पुष्टि के लिए अंशदाता को खर्च/फीस आदि की सत्यापित प्रतियाँ दो महीनों के अंदर प्रस्तुत करनी होगी.

(4) जिस कर्मचारी को शिक्षा के लिए विनियम 19 ए (1) (ए) के तहत पहले ही पेशगी मंजूर की है, उसे उस पेशगी की बकाया वापसी राशि अंतिम निकाली राशि (फायनल विड्रॉवल) में परिवर्तित करने की अनुमति अध्यक्ष अपने विवेक (डिस्क्रीशन) से प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि, उपर्युक्त उपविनियम (1) के अधीन निर्धारित शर्ते पूरी होती हों.

4. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियम में उपर्युक्त नये विनियम 19(डी) के बाद निम्नलिखित नये विनियम का समावेश होगा जैसे -

19(ई)(1) अध्यक्षजी अपने विवेक (डिस्क्रीशन) से किसी ऐसे अंशदाता को, जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो (इसमें खंडित सेवा अवधि, यदि हो, समाविष्ट है) अथवा जो निवृत्ति आयु के कारण अगलें 10 वर्षों में सेवानिवृत्त होता हो, इनमें से जो भी पहले हो निर्वाह निधि में उसकी अंशदान राशि एवं उसपर जमा ब्याज में से कोई राशि निकालने की अनुमति दे सकते हैं यदि वह राशि निम्नलिखित कामोंपर/कारणों से स्वयं उसके द्वारा अथवा वास्तविक रुप से उसपर निर्भर उसके परिवार सदस्य द्वारा हुए अथवा होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक हो.

बशर्ते कि, अंशदाता द्वारा निकाली गयी राशि निम्नलिखित से अधिक न हो -

(i) उसके खाते में प्रत्यक्षतः जमा अंशदान और उसपर ब्याज की आधी राशि
अथवा
(ii) छः महीने का वेतन
इनमें से जो भी कम हो.

प्रावधान यह भी है कि (i) अंशदाता की स्थिति (स्टेटस) (ii) अंशदाता के खाते में स्वयं का अंशदान और उसपर ब्याज की कुल जमा राशि और (iii) सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व अंशदाता द्वारा सेवा के बाकी वर्षों की संख्या आदि बातों कों ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष अंशदाता की वास्तविक अंशदान राशि और उसपर ब्याज की राशि की तीन चौथाई राशि निकालने की मंजूरी प्रदान कर सकते है.

(2) अगर अंतिम निकाली गयी राशि, बीमारी पर वास्तविक व्यय से अधिक होती है तो वह अधिक राशि तुरन्त एकमुश्त रुप में वापस करके अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा करनी होगी.

(3) अंशदाता को बीमारी के लिए निकाली गयी राशि, चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए ली गयी है इसकी पुष्टि के लिए उचित दस्तावेज दो महीने के अन्दर प्रस्तुत करना होगा.

(4) अंशदाता को बीमारी के संबंध में हुए व्यय को पूरा करने के लिए विनियम 19ए(1)(बी) के अधीन पहले पेशगी मंजूर की गयी है तो इस पेशगी की बकाया राशि को अंतिम निकाली राशि में परिवर्तित करने की अनुमति अध्यक्ष अपने विवेक (डिस्क्रीशन) से प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि, उपर्युक्त उपविनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी होती हों.

[फा. सं. पी आर-12016/12/2004-पीई-1]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—

1. भविष्य निधि के मुख्य विनियमों को सरकार द्वारा दि. 15.12.1926 के संकल्प सं. 966-1442 द्वारा मंजूरी दी गई थी तथा बम्बई सरकार, समुद्री विभाग के दि. 16.12.1926 की अधिसूचना सं. 966/1786 में प्रकाशित किया गया था.

2. पिछले संशोधन को सरकार ने दि. 21.12.1989 के पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पीआर-12016/89 पीजीआई के द्वारा अनुमोदन दिया गया था.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2005

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust (Amendment) Regulations of the Provident Fund, 2005 made by the Board of Trustees of Mumbai Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MUMBAI PORT TRUST

In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mumbai, with the previous approval of the Central Government under sub-section (1) of section 124 of the said Act, hereby make the following Regulations further to amend the Mumbai Port Trust Regulations of the Provident Fund, namely, :-

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the Mumbai Port Trust (Amendment) Regulations of the Provident Fund, 2005

(2) They shall come into force on the date of publication of the sanction of the Central Government in the official Gazette.

2. In Mumbai Port Trust Regulations of the Provident Fund, the existing Regulation No.11 shall be substituted by the following new Regulation 11 :

"11. Interest shall be allowed by the Board on all contributions made by the subscribers and also on the Board's contributions (excluding any special contributions admissible under Rule 10) actually credited to the subscribers' accounts together with accrued interest thereon respectively at the same rate of interest per annum as that which shall have been earned by the Board during the financial year upon the Provident Fund investments."

3. In the Mumbai Port Trust Regulations of the Provident Fund, after regulation 19(C), the following new regulation shall be inserted, namely :-

19D(1). The Chairman may, at his discretion, permit any subscriber who has completed fifteen years of service (including broken period of service, if any) or who is due to retire within the next ten years on account of superannuation, whichever is earlier, to withdraw any amount not exceeding that hereinafter specified from his own contribution to the Fund and the interest accrued thereon for meeting the expenditure incurred or to be incurred by himself or on any member of his family actually dependent on him, on

(i) education outside India for academic, technical, professional or vocational courses beyond High School stage; and

(ii) medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond High School stage.

Provided that any sum withdrawn by a subscriber shall not exceed –

(i) one-half of the amount actually contributed by him along with interest thereon standing to his credit.

or

(ii) six months' pay

whichever is less.

Provided further that the Chairman may sanction the withdrawal of an amount equal to three-fourths of the amounts actually contributed by the subscriber together with the interest thereon, standing to his credit having regards to

(i) status of the subscriber; (ii) the amount of the subscriber's own contribution and the interest thereon standing to his credit; and (iii) the number of years of service that the subscriber will have to put in before he attains the age of superannuation.

(2) If the amount of final withdrawal exceeds the actual cost of higher education the excess shall be refunded forthwith in one lumpsum for being credited to the subscriber's account in the fund.

(3) The subscriber shall furnish statement of cost/ attested copies of fees, etc. within 2 months as proof of utilisation of amount of withdrawal for education purpose.

(4) The Chairman may at his discretion, permit a subscriber who has already been granted an advance for the purpose of education under Regulation No.19A(1)(a) to convert the balance outstanding against such advance into final withdrawal provided the conditions prescribed under sub-rule (1) above are fulfilled.

4. In the Mumbai Port Trust Regulations of the Provident Fund, after regulation 19(D), the following new regulation shall be inserted, namely :-

19(E)(1). The Chairman may, at his discretion, permit any subscriber who has completed fifteen years of service (including broken period of service, if any) or who is due to retire within the next ten years on account of superannuation, whichever is earlier, to withdraw any amount not exceeding that hereinafter specified from his own contribution to the Fund and the interest accrued thereon, for meeting the expenditure incurred or to be incurred by himself or on any member of his family actually dependent on him on the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.

Provided that any sum withdrawn by a subscriber shall not exceed –

(i) one-half of the amount actually contributed by him along with interest thereon standing to his credit.

or

(ii) six months' pay

whichever is less.

Provided further that the Chairman may sanction the withdrawal of an amount equal to three-fourths of the amounts actually contributed by the subscriber together with the interest thereon, standing to his credit having regards to (i) the status of the subscriber; (ii) the amount of the subscriber's own contribution and the interest thereon standing to his credit; and (iii) the number of years of service that the subscriber will have to put in before he attains the age of superannuation.

(2) If the amount of final withdrawal exceeds the actual expenses on illness the excess shall be refunded forthwith in one lump sum for being credited to the subscriber's account in the fund.

(3) The subscriber shall furnish documentary evidence of having spent the amount for meeting medical expenses within 2 months as proof of utilisation of amount of withdrawal for the illness.

(4) The Chairman may at his discretion, permit a subscriber who has already been granted an advance for meeting expenses incurred in connection with illness under Regulation No.19A(1)(b) to convert the balance outstanding against such advance into final withdrawal provided the conditions prescribed under sub-rule (1) above are fulfilled.

[F. No. PR-12016/12/2004-PE-1]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note :

1. Principal Regulations of the Provident Fund were sanctioned by the Government under Resolution No.966-1442 dated 15.12.1926 and was published in Government of Bombay, Marine Department Notification No.966/1786 dated 16.12.1926.

2. Last amendment was approved by the Government vide Ministry of Shipping's letter No.PR-12016/89 PGI dated 21.12.1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.